न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, एटा

उपस्थितः दिनेश चन्द, एच०जे०एस०

जे०ओ० कोड सं०– यू0 पी0 6538

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 189/2026

(C.N.R. UPET010004502026)

शाकिर उल्ला खाँ उम्र करीब 58 वर्ष पुत्र जाकिर उल्ला खाँ, निवासी–कस्बा सराय अगहत, थाना नयागांव, जिला एटा। –––––आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० सरकार –––––विपक्षी

मु०अ०सं०–05/2026
धारा–340(2), 336(3), 338, 318(4), 61(2) बी0 एन 0 एस 0
थाना–अलीगंज, जिला एटा।

06.03.2026

आवेदक/अभियुक्त **शाकिर उल्ला खाँ** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–**05/2026** अन्तर्गत धारा–**340(2), 336(3), 338, 318(4), 61(2) बी0 एन 0 एस 0,** थाना **अलीगंज**, जिला एटा के मामले में अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उसका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है।

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी शिवांग मिश्रा ने बाके मौजा सराय अगहत, परगना आजमनगर, तहसील अलीगंज, जिला एटा का निवासी अरुण सैनी पुत्र सोनेलाल से दिनांक 05.08.2025 को गाटा संख्या 1397/0. 259 है0 में से 113/259 भाग कुल 0.113 है अपने पूर्ण भाग का बैनामा कराया है। वादी के द्वारा उक्त बैनामा कराये जाने के बाद बेईमानी व बदनियती दिनांक 12.08.2025 को श्रीमती संगीता कौशल, मनोज कुमार, रामू सैनी के द्वारा साजिशन उक्त शुद्ध पत्र के गवाह, शाकिर उल्लाह खां, शिवम कौशल लेखक शुद्धपत्र अरविन्द कुमार गुप्ता तहसील अलीगंज एवं निबंधक श्री प्रकाश शर्मा द्वारा साजिश करते हुये और यह जानते हुये भी कि उपरोक्त संगीता कौशल आदि के द्वारा गाटा संख्या 1388/0.510 है में से 11.16/510 भाग 111.55 वर्गमीटर का बैनामा दिनांक 22.01.2019 को पूर्व में ही कराया जा चुका है एवं अभियुक्त मनोज कुमार सैनी व रामू सैनी विक्रेता गाटा सं 1388/0.510 है एवं गाटा सं 1397/0.259 है के खातेदार हैं एवं दोनों ही गाटों में उनकी आराजी है। तब कानूनन दिनांक 22.01.2019 को बैनामा कराये जाने के 7 वर्ष बाद उक्त शुद्ध पत्र कराया जाना अवैधानिक है एवं दिनांक 22.01.2019 को गाटा संख्या 1388/0.510 है की विक्रेता सहखातेदार श्रीमती विट्टन देवी पत्नी स्व 0 रामपाल निवासी कस्बा सराय अगहत की मृत्यु उपरान्त उपरोक्त शुद्धीपत्र लिखा जाना भी पूर्णरूपेण अवैधानिक है। उपरोक्त संगीता कौशल क्रेता एवं विक्रेता मनोज कुमार, रामू सैनी एवं शुद्धपत्र के गवाहान शाकिर अल्लाह, शिवम कौशल व लेखक अरविन्द गुप्ता एवं उपनिबंधक श्री प्रकाश शर्मा के द्वारा एक सोचे समझे षडयंत्र के तहत बेईमानी एवं बदनियती से कूटरचित शुद्धपत्र दिनांक 12.08.2025 तैयार किया है। वादी ने उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाने पर प्रार्थना पत्र दिया, परन्तु सिविल विवाद बताते हुये, वादी के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्क सुना व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.03.06 15:30:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसके विरुद्ध कोई स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष साक्ष्य नहीं है। आवेदक का कोई भी सम्बन्ध सरोकार गाटा संख्या 1180/0.510 में नही है और न ही किसी प्रकार का भी उक्त गाटा संख्या से सम्बन्धित कोई आर्थिक लाभ प्राप्त किया है। आवेदक तहसील परिसर अलीगंज में अपने निजी कार्यवश दिनांक 12.08.2025 को गया हुआ था, वहाँ पर मौजूद कस्बे के मनोज व रामू, जो कि मुख्य सहआरोपी बनाये गये हैं के कहने पर कथित गवाही कर दी है। आवेदक का कोई भी पूर्वग्राही दूषित विचार कथित गवाही करने का नहीं रहा था। आवेदक के द्वारा शुद्धि पत्र पर बतौर साक्षी किये गये हस्ताक्षर विक्रय पत्र के शुद्धीकरण किये जाने से सम्बन्धित प्रक्रिया को क्रियान्वयन के समय सम्बन्धित कार्यालय एवं एडवोकेट के द्वारा सही कानूनी प्रक्रिया अपनाये जाने के वायदे के साथ ही किया था। आवेदक का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त आधारों पर अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्क सुना व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में अग्रिम जमानत का प्रावधान निम्न प्रकार अंकित है–

(1) जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है उसको किसी अजमानतीय अपराध के किये जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह इस धारा के अधीन निदेश के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है और यदि वह न्यायालय ठीक समझे तो वह निदेश दे सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाये।

(2) जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय उपधारा (1) के अधीन निदेश देता है तब वह उस विशिष्ट के के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन निदेशों में ऐसी शर्तें, जो वह ठीक समझे, सम्मिलित कर सकता है, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं–

i. यह शर्त कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा;
ii. यह शर्त कि वह व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा;
iii. यह शर्त कि वह व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुजा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
iv. ऐसी अन्य शर्तें जो धारा 480 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे अधिरोपित की जा सकती हैं मानो उस धारा के अधीन जमानत मंजूर की गई हो।

(3) यदि तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति को ऐसे अभियोग पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारण्ट के बिना गिरफ्तार किया जाता है और वह या तो गिरफ्तारी के समय या जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है तब किसी समय जमानत देने के लिए तैयार है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा; तथा यदि ऐसे अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम बार ही वारण्ट जारी किया जाना चाहिए, तो वह उपधारा (1) के अधीन न्यायालय के निदेश के अनुरूप जमानतीय वारण्ट जारी करेगा।

(4) इस धारा की कोई बात भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65 या धारा 70 की उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध को कारित करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अंतर्वलित करने वाले किसी मामले को लागू नहीं होगी।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **श्री गुरुबक्स सिंह सिबिया व अन्य बनाम स्टेट आफ पंजाब राज्य** (1980)2 **सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज** 565 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय को अग्रिम जमानत पर आदेश पारित करते समय यह निर्धारित करना चाहिए कि अपराध की गम्भीरता कितनी है और क्या अभियुक्त की उपस्थिति विचारण के दौरान सुनिश्चित की जा सकेगी अथवा वह मुकदमे के गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। इसके अलावा जनहित व राज्य का हित भी न्यायालय को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिद्धाराम सत्यलिंगप्पा महेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य** 2011 (1) **सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज** 694 की विधि व्यवस्था के प्रस्तर संख्या 112 में यह भी निर्धारित किया गया है कि न्यायालय को अग्रिम जमानत निस्तारित करते समय निम्नलिखित माप दण्ड अपनाया जाना चाहिए–

1. अपराध की प्रकृति एवं उसकी गम्भीरता तथा अपराध कारित करने वाले अभियुक्त की भूमिका,
2. अभियुक्त का आपराधिक इतिहास तथा यदि वह किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि में जेल गया हो,
3. अभियुक्त के मुकदमे के विचारण के दौरान अनुपस्थित होने की सम्भावना,
4. अभियुक्त द्वारा पुनः ऐसे ही अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने की सम्भावना,
5. अभियुक्त को केवल चोट पहुँचाये जाने अथवा प्रताड़ित किये जाने हेतु गिरफ्तार किया जाना,
6. अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने से जनता के लोगों में उसका प्रभाव,
7. न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर अत्यधिक सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए,
8. अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का निस्तारण करते समय न्यायालय को दोनो तथ्यों पर विचार करना चाहिए कि विवेचना स्वतंत्र, साफ सुथरी हो और अभियुक्त का भी कोई उत्पीड़न या अपमान करने का आशय नहीं होना चाहिए,
9. अभियुक्त के द्वारा गवाहों को, अथवा वादी को कोई धमकी, उत्प्रेरणा या वचन दिये जाने की सम्भावना का भी ध्यान रखना चाहिए,
10. न्यायालय को अग्रिम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय सभी सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखना चाहिए तथा अभियोजन पक्ष के केस में यदि संदेह हो, तब जमानत दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सामान्यता अभियुक्त को जमानत दिया जाना चाहिए–

चूंकि सभी अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त को मात्र हासिये का गवाह होना बताया गया है। अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त का अन्य किसी मामले का कोई आपराधिक इतिहास होना नहीं बताया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **शाकिर उल्ला खाँ** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–05/2026 अन्तर्गत धारा–340(2),336(3),338,318(4),61(2) **बी0 एन 0 एस 0,** थाना **अलीगंज**, जिला एटा के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त को रूपये पचास हजार का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान राशि का एक प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के आधार पर दाखिल किये जाने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनॉकः 06.03.2026

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश, एटा।
JO Code UP 6538